सं.19016/1/2015-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

21st दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार के लिए, विशेष परिस्थितियों में, एसआर-147 के नीचे दिए प्रावधान की प्रयोजनीयता के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग में अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभाग से यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कर्मचारी की मृत्यु से एक वर्ष की अवधि के बाद, दिवंगत कर्मचारी के परिवार का यात्रा भत्ता दावा स्वीकार किए जाने के लिए एसआर-148 के नीचे दिया गया नियम क्या एसआर-147 के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय 2(iii) के दायरे में भी आता है जिसमें प्रावधान है कि 'किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति पर केन्द्र सरकार के कर्मचारी के लिए यात्रा भत्ता जिसके लिए वह पात्र है, सेवानिवृत्ति पूर्व अपनी छुट्टी के दौरान कभी भी अथवा अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर प्राप्त किया जा सकता है और एक वर्ष की समय-सीमा बढ़ाए जाने की शक्तियों का प्रयोग, अलग-अलग मामलों में तत्संबद्ध विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा संबंधित वित्त सलाहकार के अनुमोदन से किया जाएगा।'

2. इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित मंत्रालय के वित्त सलाहकार के अनुमोदन से एक वर्ष की समय-सीमा बढ़ाए जाने के लिए एसआर-147 के नीचे दिया गया उपर्युक्त प्रावधान, दिवंगत सरकारी सेवक के परिवार के मामले में भी लागू होगा।

3. इसे संयुक्त सचिव (कार्मिक) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव
21/12/2016

(निर्मला देव)

उप सचिव (ईजी)

प्रतिः सभी मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार) ।